

आयकर आयुक्त (टीडीएस) चंडीगढ़ बनाम मैसर्ज ओसीएम इंडिया लिमिटेड जी.टी. रोड  
(अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

**अजय कुमार मित्तल और तेजिंदर सिंह ढीढसा जेजे. के समक्ष**

**आयकर आयुक्त (टीडीएस) चंडीगढ़ – याचिकाकर्ता**

बनाम

**मैसर्ज ओ.सी.एम इंडिया लिमिटेड जी.टी. रोड- उत्तरवादीगण**

**आईटीए नं. 338 आफ 2016**

9 मई, 2018

आयकर अधिनियम, 1961-- एस.194 एच--स्रोत पर कर कटौती की देनदारी---  
कमीशन की परिभाषा और दायरा---आयोजित, एजेंटों को व्यापार छूट की अनुमति  
और निर्धारिती की ओर से खरीदे गए ऑर्डर और बेचे गए सामान-- कमीशन नहीं -  
सेवा पर कर कटौती का कोई दायित्व नहीं।

यह माना गया कि चूंकि समवर्ती निष्कर्ष सीआईटी (ए) के साथ-साथ  
न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किया गया है कि निर्धारिती अपने कमीशन एजेंटों को दी गई  
व्यापार छूट पर डेबिट कर रहा था जो उसकी ओर से और उसकी ओर से उसके  
उत्पादों की बिक्री और ऑर्डर प्राप्त कर रहे थे, मूल्यांकन अधिकारी को अधिनियम की  
धारा 194 एच में स्पष्टीकरण के प्रावधानों को आकर्षित करना उचित नहीं था।  
अपीलकर्ता के विद्वान वकील इसमें कोई त्रुटि या अवैधता इंगित करने में सक्षम नहीं  
हैं।

(पैरा 14)

योगेश पुतनी, वरिष्ठ स्थायी वकील-- अपीलकर्ता--राजस्व की ओर से  
मनप्रीत सिंह, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, राधिका सूरी के साथ.

**अजय कुमार मित्तल, एसीजे**

- (1) 2016 के सीएम नंबर 19108 सीआईआई में दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, अपील दोबारा दाखिल करने में हुआ विलंब माफ किया जाता है। आवेदन स्वीकृत है।
- (2) अपीलकर्ता-राजस्व ने धारा के तहत तत्काल अपील दायर की है आदेश के विरुद्ध आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260ए (संक्षेप में, "अधिनियम") दिनांक 12.6.2012, अनुलग्नक ए.3, आयकर अपीलीय द्वारा पारित आईटीए में ट्रिब्यूनल, अमृतसर बेंच, अमृतसर (संक्षेप में, "ट्रिब्यूनल") निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए संख्या 418(एसआर)/2011, निम्नलिखित का दावा करते हुए कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न:

“क्या माननीय आईटीएटी 4,57,52,494/- रुपये के टर्नओवर छूट के भुगतान पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 एच के प्रावधानों को लागू करने वाले मूल्यांकन अधिकारी के आदेश को उलटने में सीआईटी (ए) के आदेश की पुष्टि करने में सही था।?”

- (3) संबंधित विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक कुछ तथ्य जैसा कि अपील में बताया गया है, उस पर ध्यान दिया जा सकता है। दिनांक 20.1.2009 को निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी-निर्धारिती यानी मैसर्स ओसीएम इंडिया लिमिटेड के कार्यालय रिकॉर्ड, जीटी रोड, छेहरटा, अमृतसर, विनिर्माण में लगी एक कंपनी ऊनी वस्तुओं की बिक्री में, यह देखा गया कि निर्धारिती ने एक राशि डेबिट की ट्रेड टर्नओवर छूट के खाते में 4,57,52,494/- दिए गए सकल टर्नओवर से शुद्ध किया गया और इसमें व्यय की कोई मद लाभ - हानि खाता में नहीं दिखाई दी। करदाता ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष गुहार लगाई वह कमीशन या दलाली एजेंसी लेनदेन के कारण उत्पन्न हुई, तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए टीडीएस नहीं लगेगा। निर्धारिती के स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद निर्धारण अधिकारी निष्कर्ष निकाला कि 4,57,52,494/- की राशि टर्नओवर छूट थी समावेशी परिभाषा के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं के लिए

आयकर आयुक्त (टीडीएस) चंडीगढ़ बनाम मैसर्स ओसीएम इंडिया लिमिटेड जी.टी. रोड (अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिनियम की धारा 194एच की व्याख्या। प्रतिवादी कंपनी थी अधिनियम की धारा 194एच के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है टीडीएस के मद में `47,12,507/- और अतिरिक्त राशि की मांग अधिनियम की धारा 201(1ए) के तहत लगाए गए ब्याज के कारण `6,59,751/- उठाया गया था। आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी निर्धारिती ने अपील दायर की आयकर आयुक्त (अपील), [सीआईटी (ए)] के समक्ष। वीडियो ऑर्डर दिनांक 18.4.2011, अनुलग्नक ए.2, सीआईटी (ए) ने दायर अपील की अनुमति दी निर्धारिती आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर राजस्व ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की दिनांक 12.6.2012 के आदेश, अनुलग्नक ए.3 द्वारा, ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया अपील की और सीआईटी (ए) द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा।

(4) हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

(5) धारा 194H और स्पष्टीकरण (i) का संदर्भ लेना उचित होगा उसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

“कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्तिगतपरिवार या अविभाजित हिंदू नहीं है, जो पहले दिन जून 2001 या उसके बाद एक निवासी को, कमीशन के माध्यम से कोई आय भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, धारा 194डी में निर्दिष्ट बीमा आयोग नहीं) या ब्रोकरेज, ऐसी आय को जमा करते समय प्राप्तकर्ता के खाते में या ऐसी आय के भुगतान के समय नकद या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य माध्यम से, जो भी पहले हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आयकर काट लें,

प्रदान किया गया xxxxxxxxxxxx.....

**स्पष्टीकरण** - इस धारा के प्रयोजनों के लिए:-

"i) "कमीशन या दलाली" में प्राप्त कोई भी भुगतान शामिल है या प्राप्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए किसी अन्य व्यक्ति का (पेशेवर नहीं होना) माल या खरीदने या बेचने के दौरान किसी भी सेवा के लिए या किसी परिसंपत्ति से संबंधित किसी लेनदेन के संबंध में, मूल्यवान वस्तु या वस्तु, जो प्रतिभूति न हो।

ii से iv xxxxxx.....”

अधिनियम की धारा 194 एच को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि स्रोत पर कर है किसी भी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा कटौती की जाएगी "कमीशन या दलाली"। अभिव्यक्ति "कमीशन या दलाली" इस खंड में संदर्भित इसका अर्थ संलग्न स्पष्टीकरण से प्राप्त होता है तत्संबंधी. इसके अनुसार, "कमीशन या दलाली" में कोई भी भुगतान शामिल है की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्य अन्य व्यक्ति (i) प्रदान की गई सेवाओं के लिए (पेशेवर सेवाएं नहीं); या (ii) सामान खरीदने या बेचने के दौरान किसी भी सेवा के लिए, या (iii) में किसी परिसंपत्ति, मूल्यवान वस्तु या वस्तु से संबंधित किसी भी लेनदेन के संबंध में नहीं प्रतिभूतियाँ होना। यह जांचने के लिए कि क्या स्पष्टीकरण (i) अधिनियम की धारा 194एच का आकर्षित होना आवश्यक है, यह देखा जाना चाहिए कि निर्धारिती ने कोई भुगतान किया है या नहीं और, यदि ऐसा है, तो क्या यह निर्धारिती द्वारा भुगतानकर्ता को प्रदान की गई सेवा के लिए है ।

- (6) कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के बाद, हम जांच के लिए आगे बढ़ते हैं पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा विभिन्न घोषणाओं पर भरोसा किया गया। राजस्व के लिए विद्वान वकील, निर्णयों के बल पर **आयकर आयुक्त बनाम. निदेशक, प्रसार भारती, आयकर आयुक्त बनाम आइडिया सेल्युलर लिमिटेड, वोडाफोन एस्सार सेल्युलर लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त आयकर (टीडीएस), भारती सेल्युलर**

आयकर आयुक्त (टीडीएस) चंडीगढ़ बनाम मैसर्ज ओसीएम इंडिया लिमिटेड जी.टी. रोड (अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी ने ट्रिब्यूनल के फैसले पर हमला किया।

- (7) **प्रसार भारती** के मामले (सुप्रा) में, निर्धारिती पूर्ण स्वामित्व वाला है भारत सरकार का उपक्रम विभिन्न समाचार के प्रसारण में खेल, मनोरंजन, सिनेमा और अन्य कार्यक्रम विज्ञापन थे, दूरदर्शन द्वारा नियुक्त एजेंटों के माध्यम से प्रचार किया गया। एजेंट ने दूरदर्शन की ओर से उनके बीच हुए समझौते के तहत प्रचार किया, जिसमें निर्धारित टैरिफ के अनुसार विज्ञापन और ग्राहकों से वसूले गए विज्ञापन शुल्क भी शामिल थे। इसमें विज्ञापन एजेंसियों को 15% हिस्सा अपने पास रखने की अनुमति देने का प्रावधान था उनके द्वारा दूरदर्शन को कमीशन के रूप में विज्ञापन शुल्क ग्राहकों से विज्ञापन सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क में से देय था। उन परिस्थितियों में, यह माना गया कि अधिनियम की धारा 194 के प्रावधान और स्पष्टीकरण (i) को आकर्षित किया गया था। यह व्यापार छूट का मामला नहीं था जैसा कि वर्तमान मामला हाथ में है।
- (8) **आइडिया सेल्युलर लिमिटेड** के मामले (सुप्रा) में, दिल्ली उच्च न्यायालय उस मुद्दे की जांच कर रहा था जहां निर्धारिती सेलुलर टेलीफोन प्रदान कर रहा था प्रीपेड सिम कार्ड बेचने के लिए वितरकों की नियुक्ति करके नेटवर्क निर्धारिती वितरक को छूट की अनुमति दे रहा था जिसे माना गया आयोग का गठन और अधिनियम की धारा 194एच के प्रावधान उसके साथ संलग्न स्पष्टीकरण आकर्षित किया गया। उक्त में विशिष्ट विशेषता मामला यह था कि निर्धारिती सेल्युलर उपलब्ध कराने के व्यवसाय में लगा हुआ था सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल नामक कार्ड के माध्यम से टेलीफोन नेटवर्क (सिम)। ग्राहकों को प्री-पेड या पोस्ट-पेड कनेक्शन प्रदान किए गए वितरकों के माध्यम से जिन्हें प्री-पेड मार्केट एसोसिएट्स (पीएमए) नियुक्त किया जाता है वह

निर्धारिती जिसके लिए निर्धारिती ने अपने वितरकों को छूट की पेशकश की थी प्रीपेड कॉलिंग सेवाएँ। हाई कोर्ट ने फैसले को पलटा और ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला था कि उसमें लेनदेन की प्रकृति को देखते हुए, छूट वास्तव में प्रदान की गई, सेवाओं के लिए कमीशन की प्रकृति में थी, वर्तमान मामले में निर्धारिती द्वारा ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के लिए एजेंटों द्वारा निर्धारिती को दी गई व्यापार छूट में कटौती कर रहा था डीलरों को 'टर्नओवर प्रोत्साहन' शीर्षक के तहत बिक्री से कम किया गया जो कि पहले मामले के तथ्यों से अलग है।

- (9) **वोडाफोन एस्सार सेल्युलर लिमिटेड** का मामला (सुप्रा) केरल हाई कोर्ट के सामने ऐसा ही मामला भी उठा था, इस मामले में फैसला सुनाया गया जो **आइडिया सेल्युलर लिमिटेड का मामला** (सुप्रा) में राजस्व दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर है। **भारती सेल्युलर लिमिटेड** में कलकत्ता उच्च न्यायालय मामले (सुप्रा) के निर्णयों के मद्देनजर दिल्ली और केरल उच्च न्यायालय, राजस्व के पक्ष में भी व्यक्त किया गया ।
- (10) निर्धारिती के विद्वान वकील ने **भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम बिक्री कर अधिकारी भोपाल, अहमदाबाद स्टाम्प वैंडर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ, आयकर आयुक्त बनाम कतर एयरवेज़, और एम.एस. हमीद और अन्य बनाम. राज्य लॉटरी निदेशक और अन्य** में निर्णयों का हवाला दिया था
- (11) निर्धारिती के लिए विद्वान वकील द्वारा **अहमदाबाद स्टाम्प वैंडर्स एसोसिएशन** (सुप्रा) के मामले में भारी भरोसा रखा गया था मुद्दा पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने उक्त मामले में यह पूछा था कि क्या स्रोत पर कर था जहां लाइसेंस प्राप्त है वहां अधिनियम की धारा 194एच के तहत कटौती की जानी आवश्यक है स्टाम्प पेपर विक्रेता सरकार से स्टाम्प पेपर ले रहा था और फिर छूट को घटाकर स्टाम्प पेपर का मूल्य जमा कर देना गुजरात स्टांप आपूर्ति और बिक्री नियम, 1987 (में) के संदर्भ में सरकार संक्षेप में, 1987 नियम)। यह माना गया कि छूट उपलब्ध करायी गयी लाइसेंसधारी स्टाम्प विक्रेता नियमावली 1987

आयकर आयुक्त (टीडीएस) चंडीगढ़ बनाम मैसर्स ओसीएम इंडिया लिमिटेड जी.टी. रोड (अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं की धारा 194एच के तहत अभिव्यक्ति "कमीशन या दलाली" के भीतर कार्यवाही करना। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार पढ़ें:-

“श्रीमान नायक के तर्क को स्वीकार करना भी संभव नहीं है कि राजस्व के लिए "कमीशन" या दलाली" की परिभाषा धारा 194 एच जैसा कि अनुभाग के स्पष्टीकरण में निहित है इतना व्यापक है कि इसमें कोई भी भुगतान शामिल होगा पाठ्यक्रम में सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्य सामान खरीदने या बेचने का और इसलिए, छूट स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा लिया गया कमीशन बनता है या धारा 194 एच के अर्थ में दलाली। यदि यह हो तो विवाद को स्वीकार किया जाना था, बिक्री के सभी लेनदेन एक निर्माता से थोक विक्रेता या थोक विक्रेता से अर्ध थोक विक्रेता से या अर्ध-थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता धारा 194H के अंतर्गत कवर किया जाएगा। उपरोक्त स्पष्टीकरण, भुगतान प्राप्त या प्राप्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा होता है किसी अन्य व्यक्ति की ओर से (i) प्रदान की गई सेवाओं के लिए (नहीं)। व्यावसायिक सेवाएँ होने के नाते), या (ii) किसी भी सेवा के लिए वस्तु खरीदने या बेचने के क्रम में, या (iii) के संबंध में किसी संपत्ति, मूल्यवान वस्तु या से संबंधित कोई लेनदेन चीज़। एजेंसी का तत्व सभी के मामले में मौजूद होना चाहिए स्पष्टीकरण (i) द्वारा विचार की गई सेवाएँ या लेनदेन धारा 194एच. यदि कोई कार डीलर यहां से कारें खरीदता है निर्माता कीमत कम छूट का भुगतान करके, वह होगा क्रेता और कंपनी का एजेंट नहीं, बल्कि में कारों को बेचने के क्रम में, वह एक अनुबंध में प्रवेश कर सकता है ग्राहक के साथ वारंट अवधि के दौरान रखरखाव (कार खरीदने वाला) कंपनी की ओर से। हालाँकि, डीलर द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाएँ कार बेचने का क्रम बेचने की गतिविधि नहीं बनाता है कारें स्वयं निर्माता के एजेंट का एक कार्य है जब कंपनी और डीलर के बीच लेनदेन

कारों की बिक्री का मामला "प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल" आधार पर है। यह स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण मात्र है कि एक सेवा सामान खरीदने या बेचने का क्रम। जब लाइसेंस प्राप्त हो स्टाम्प विक्रेता भुगतान करने पर स्टाम्प पेपर की डिलीवरी लेते हैं पूरी कीमत कम छूट की और वे ऐसे स्टाम्प पेपर बेचते हैं खुदरा ग्राहकों के लिए, दोनों में से कोई भी गतिविधि (खरीद) नहीं, सरकार से और ग्राहकों को बेचकर, किया जा सकता है माल खरीदने या बेचने के दौरान सेवा के रूप में कहा जाता है

उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम इसका समर्थन करते हैं याचिकाकर्ता संघ की ओर से दलील दी गई यह छूट लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प को उपलब्ध कराई गई है गुजरात स्टाम्प के प्रावधानों के तहत विक्रेता आपूर्ति एवं बिक्री नियम, 1987 के अंतर्गत नहीं आता है अनुभाग के अंतर्गत अभिव्यक्ति "कमीशन" या "दलाली"। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194एच। आक्षेपित आय से दिनांक 14 मार्च 2002 का संचार- कर अधिकारी, टीडीएस 4, अहमदाबाद, वरिष्ठ कोषालय को इसलिए, अधिकारी, अहमदाबाद को बर्खास्त किया जाता है और अलग रखा जाता है। और इसलिए 19 मार्च के परिणामी निर्देश भी, 2002 (याचिका का अनुलग्नक "डी") वरिष्ठ द्वारा जारी किया गया ट्रेजरी अधिकारी, अहमदाबाद, के सचिव को याचिकाकर्ता की एसोसिएशन को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।"

(12) यहां तथ्यात्मक मैट्रिक्स का विज्ञापन, स्वीकार्य रूप से, निर्धारिती "ट्रेड टर्नओवर" के खाते में `4,57,52,494/- की राशि डेबिट की गई खाते" जो सकल कारोबार से शुद्ध कर दिए गए थे और नहीं लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में प्रदर्शित होते हैं। निर्धारण अधिकारी ने आयोजित किया उक्त राशि टर्नओवर छूट के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थी अधिनियम की धारा 194 एच के स्पष्टीकरण के अनुसार प्रदान की गई सेवाएं और इस प्रकार अधिनियम की धारा 201(1ए) के तहत टीडीएस और ब्याज के कारण मांग उठाया गया था। सीआईटी (ए) के समक्ष अपील पर, मुद्दा यह था



आयकर आयुक्त (टीडीएस) चंडीगढ़ बनाम मैसर्स ओसीएम इंडिया लिमिटेड जी.टी.  
रोड (अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

कि क्या व्यापार `4,57,52,494/- की टर्नओवर छूट टीडीएस के अधीन थी अधिनियम की धारा 194एच इसे अपने डीलरों को कमीशन/दलाली के रूप में मानती है ताकि अधिनियम की धारा 194एच के स्पष्टीकरण के तहत कवर किया जा सके। सीआईटी (ए) ने दर्ज किया कि निर्धारित कमीशन की राशि डेबिट कर रहा था क्षेत्रवार नियुक्त अपने कमीशन एजेंटों को `1.84 करोड़ का भुगतान किया गया इसके लिए कार्रवाई कर रहे थे और ऑर्डर प्राप्त कर रहे थे/इसके उत्पादों की बिक्री प्रभावित कर रहे थे, उत्पाद से उत्पाद की ओर से और जगह-जगह और गुणवत्ता के अनुसार अलग-अलग कमीशन प्राप्त करना । इस प्रकार निर्धारण अधिकारी को न्यायोचित नहीं माना गया धारा 194एच के प्रावधानों को इसके स्पष्टीकरण के साथ पढ़ें निर्धारितद्वारा अपने खरीदारों/ग्राहकों/प्रत्यक्ष व्यापार को दी गई व्यापार छूट किसी भी अंतर-मध्यस्थ/कमीशन एजेंट की भागीदारी के बिना डीलर। सीआईटी (ए) द्वारा दर्ज किए गए प्रासंगिक निष्कर्ष इस प्रकार पढ़ें:-

“मैंने अपीलकर्ता की दलीलों पर विचार किया है और उन्हें पढ़ा है मामले के साथ अपील के तहत ए.ओ. का मूल्यांकन आदेश दोनों पक्षों ने कानून पर भरोसा किया। होने वाला एकमात्र विवादित बिंदु तय किया गया है कि क्या व्यापार टर्नओवर छूट राशि है धारा 194-एच के तहत `4,57,52,494/- तक टीडीएस के अधीन हैं द्वारा इसे अपने डीलरों को कमीशन/दलाली के रूप में लेने का आरोप लगाया गया है ए.ओ. अपीलकर्ता के कमीशन एजेंट और इस प्रकार इसके अंतर्गत आते हैं धारा 194-एच के नीचे स्पष्टीकरण दिया गया है या नहीं। यह है एक इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ए.ओ. कोई स्वतंत्र कार्य नहीं किया है व्यापार डीलरों से धारा 133(6) के तहत सत्यापन अपीलकर्ता-कंपनी के पुस्तक संस्करण की पुष्टि करें और या उसकी जांच करें कि क्या ट्रेड डीलर टर्नओवर का हिसाब-किताब रख रहे हैं उनके खाते की किताबों में छूट है या नहीं। अपीलकर्ता- कंपनी हमेशा से यह तर्क देती रही है कि यह उसका एक अभिन्न अंग है उनके लगातार व्यापार अभ्यास का साल-दर-साल पालन

किया जा रहा है इसे बढ़ावा देने के लिए व्यापार डीलरों को व्यापार छूट की अनुमति दें टर्नओवर और इसे संबंधित खातों में जमा किया गया है व्यापार डीलरों को खाता बही बंद करने के दौरान और उसके बाद भी दूसरी ओर, यह कमीशन की रकम काट रहा है `1.84 करोड़ का भुगतान अपने कमीशन एजेंटों को नियुक्त क्षेत्र को किया गया- बुद्धिमान जो कार्य कर रहे हैं और ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं/बिक्री को प्रभावित कर रहे हैं अपीलकर्ता-प्रिंसिपल के लिए और उसकी ओर से अपीलकर्ता के उत्पाद और जगह-जगह और गुणवत्ता के हिसाब से अलग-अलग कमीशन प्राप्त कर रहे हैं उत्पाद से उत्पाद तक. इसके अलावा, ए.ओ. करने में विफल रहा है आधार पर किसी भी जीवित उदाहरण को रिकॉर्ड पर स्थापित और खरीदा गया जिससे यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यापार छूट केवल एक है दिखावटी व्यवस्था और भुगतान वास्तव में नहीं किया गया है व्यापार डीलरों के लिए, न ही, ए.ओ. ऑन रिकॉर्ड कोई भी खरीदा है उसके पास ठोस जानकारी आ रही है जिससे ऐसा हो सकता है व्यापार छूट वस्तुतः एक कमीशन है जिसका भुगतान किया जाता है मध्यस्थ इसके विपरीत, यह हमेशा से रहा है अपीलकर्ता का तर्क है कि किसी विशेष मामले में सौदा होने के बाद ऊपर, वह उसी पर अपना अधिकार खो देता है और वह पूर्ण हो जाता है ग्राहक/खरीदार की संपत्ति जिसे व्यापार छूट का भुगतान भी किया गया था ताकि अपीलकर्ता के उत्पादों को खुले में रखने के लिए प्रेरित किया जा सके प्रतिस्पर्धा से भरा बाजार. यह एक सामान्य व्यापारिक घटना है बिक्री में प्रवेश करने के लिए सभी व्यापारिक समुदाय के बीच ग्राहक के साथ सीधे लेनदेन और ऑर्डर भी प्राप्त करें अपने कमीशन एजेंटों के माध्यम से। मैं सुविचारित राय का हूँ कि ए.ओ. की संपूर्ण स्थिति की सराहना नहीं की है अपीलकर्ता कंपनी अपनी वास्तविक व्यावसायिक भावना और अधिकार में है परिप्रेक्ष्य। बल्कि उन्होंने आपस में मिश्रण करने में खुद को गुमराह किया है बिक्री दो प्रकार की होती है अर्थात् प्रत्यक्ष बिक्री और अप्रत्यक्ष बिक्री कमीशन एजेंट. इसके अलावा, मुझे इस मामले में भरोसेमंद कानूनों में ताकत नजर आती है अपीलकर्ता द्वारा, उपरोक्त का हवाला दिया गया। इसके अलावा,

आयकर आयुक्त (टीडीएस) चंडीगढ़ बनाम मैसर्स ओसीएम इंडिया लिमिटेड जी.टी.  
रोड (अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

यह ए.ओ. का नहीं है मामला यह है कि अपीलकर्ता-कंपनी ने प्रावधानों का उल्लंघन किया है ₹1.84 करोड़ के कमीशन के संबंध में धारा 194-एच इसे इसके लाभ एवं हानि खाते से डेबिट किया गया। तथ्यों की समग्रता में और मामले की विशिष्ट परिस्थितियाँ, इसमें न्याय का हित होंगी।

यह मानना है कि ए.ओ. में उचित नहीं है धारा 194-एच के प्रावधानों को इसके स्पष्टीकरण के साथ पढ़ें अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा अनुमत व्यापार छूट के लिए खरीददारों/ग्राहकों/प्रत्यक्ष व्यापार डीलरों की भागीदारी के बिना कोई अंतर-मध्यस्थ/कमीशन एजेंट, तदनुसार, विशाल धारा 201(1) सहपठित के अंतर्गत ₹53,72,258/- की मांग सृजित की गई आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201(1ए) को इसके द्वारा हटा दिया गया है धारा के प्रावधानों के अनुसार अनुचित और उत्तरदायी नहीं है 194-एच अपने स्पष्टीकरण के साथ पढ़ें, क्योंकि विभाग विफल रहा है स्थापित करने के लिए कोई भी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाएँ अपीलकर्ता कंपनी के प्रिंसिपल के बीच सांठगांठ और संबंध प्रत्यक्ष व्यापार डीलरों के कमीशन के साथ एजेंट/ठेकेदार/मध्यस्थ।"

(13). उक्त निष्कर्षों की न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि की गई है निम्नलिखित अवलोकन:

“हमने प्रतिद्वंद्वियों की दलीलें सुनी हैं और तथ्यों का अध्ययन किया है मामला। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि निर्धारिती के पास था टर्नओवर इंसेंटिव के लिए ₹4,57,52,494/- की राशि डेबिट की गई वही बिक्री से कम कर दिया गया है. की व्याख्या निर्धारिती को यह छूट विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाती है यहां ऊपर उल्लिखित, एओ द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है कारण. एओ के समक्ष रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है छूट प्रस्ताव धारा के अर्थ में एक कमीशन है अधिनियम की धारा 194-एच. रती भर भी सबूत या दस्तावेज़ नहीं मिला निर्धारण प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर

रखा गया है जो निर्धारिती के पास है अपने खाते में कमीशन का भुगतान किया या डेबिट किया। एओ ने भरोसा किया है हिंदुस्तान कोको कोला पेय पदार्थ प्रा. लिमिटेड बनाम. आईटीओ आईटीएटी (जेपी) (2005) 98 टीटीजे (जेपी) के मामले में फैसले पर कानून की विभिन्न अदालतों के अन्य निर्णयों के साथ एओ के पास है यह स्थापित नहीं हुआ है कि वर्तमान मामला किस प्रकार तथ्यों के समान है हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड का मामला लिमिटेड बनाम. इतो (सुप्रा)। चूंकि हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेज के मामले में प्रा. लिमिटेड बनाम. आईटीओ (सुप्रा), संक्षिप्त तथ्य यह है कि निर्धारिती एक है कंपनी गैर के निर्माण और वितरण में लगी हुई है अल्कोहल से भरी कांच की बोतलें और प्लास्टिक के डिब्बे। कहा कंपनी वेतन के टीडीएस के संबंध में टीडीएस रिटर्न दाखिल करती रही है। अनुबंध/ उप-अनुबंध और ब्याज लेकिन संबंध में कोई टीडीएस रिटर्न नहीं कमीशन भुगतान का मामला दायर किया गया है। की धारा 133 ए के तहत एक सर्वेक्षण यह अधिनियम 20 दिसंबर, 2002 को व्यावसायिक परिसरों पर लागू किया गया था द्वारा किए जा रहे टीडीएस के संबंध में सत्यापन के उद्देश्य से निर्धारिती सर्वेक्षण के दौरान, एक परीक्षण संतुलन दिखाया जा रहा है 1 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2002 के बीच की अवधि के लिए कंपनी के मामले 19 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हुआ। इस ट्रायल बैलेंस से, यह था पाया गया कि वितरक का कमीशन डेबिट कर दिया गया है राशि `4,75,22,929/-। हालाँकि, यह पाया गया कि कोई टीडीएस नहीं संबंधित क्रेडिट प्रविष्टियों पर कटौती और भुगतान किया गया था या कमीशन भुगतान चाहे कुछ भी हो। के वितरकों ने कहा कंपनी ने स्वीकार किया था कि उन्हें मिल रहा है उक्त निर्धारिती से कमीशन और कई अन्य थे निर्णय लेते समय आईटीएटी, जयपुर पीठ के समक्ष उपलब्ध तथ्य निर्धारिती के विरुद्ध मामला। उस मामले में करदाता भी था खाते की किताबें बनाए रखना, जिसमें उन्होंने घोषणा की है माल की खरीद और बिक्री. इसी पृष्ठभूमि में

आयकर आयुक्त (टीडीएस) चंडीगढ़ बनाम मैसर्स ओसीएम इंडिया लिमिटेड जी.टी.  
रोड (अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

निर्णय निर्धारिती के विरुद्ध और राजस्व के पक्ष में था आईटीएटी, जयपुर बेंच द्वारा दिया गया, (2005) में रिपोर्ट किया गया 98टीटीजे(जेपी)1. वर्तमान में ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है

मामला, इसके अलावा, रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि मामलों पर कैसे भरोसा किया गया, ए.ओ. द्वारा वर्तमान मामले के तथ्य समान हैं। माननीय निर्धारिती के वकील ने विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है माननीय सीआईटी(ए) के समक्ष कानून की अदालतों और हमारे सामने तथ्यों में और मामले की परिस्थितियों के आधार पर हमारा मानना है कि निर्धारिती कंपनी ने धारा के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है अधिनियम की धारा 194-एच और एओ ने बिना इस मुद्दे का फैसला किया है निर्धारिती के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, इसलिए, माननीय सीआईटी (ए) ने आकलन के आदेश को सही ढंग से उलट दिया है माननीय सीआईटी(ए) ने सही ही मांग को हटा दिया है, धारा 201(1) के तहत बनाया गया अधिनियम की धारा 201(1ए) धारा के साथ पठित और निर्धारिती को, राजस्व `53,72,258/- डिफॉल्ट में दोषी नहीं ठहराया जा सकता. हमें माननीय सीआईटी(ए) के आदेश में कोई खामी नहीं मिली और इसे बरकरार रखा गया है। इस प्रकार, के सभी आधार खारिज कर दिया जाता है।"

(14). वर्तमान मामले में, चूंकि समवर्ती खोज दर्ज की गई है सीआईटी (ए) के साथ-साथ ट्रिब्यूनल द्वारा जिसे निर्धारिती डेबिट कर रहा था अपने कमीशन एजेंटों को व्यापार छूट की अनुमति दी गई जो कार्य कर रहे थे और उसके लिए और उसकी ओर से उसके उत्पादों के ऑर्डर प्राप्त करना / बिक्री करना स्पष्टीकरण के प्रावधानों को आकर्षित करना निर्धारण अधिकारी के लिए उचित नहीं था अधिनियम की धारा 194एच. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए उसमें किसी भी त्रुटि या अवैधता को इंगित करने में सक्षम।

(15). उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा है तदनुसार उत्तर दिया। परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है।

**अस्विकरण-** स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी वयावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यके लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रारंभिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सचिन गर्ग ट्रांसलेटर